# कार्यालय जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक/एम.ई.डी./........ दिनांक : .............

## - : विज्ञप्ति :-

म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना, श्योपुर की ओर से जिले के विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणो हेतु ग्राम स्तर पर कांच के मोती के निर्माण कार्य का प्रशिक्षण दिये जाने के लिये संस्था चयन हेतु मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तो हेतु कार्यालय म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिला पंचायत श्योपुर में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है, अथवा बेब साईट – http//www.zpsheopur.nic.in, http//www.mprlp.in से डाउन लोड की जा सकती है।

निविदा, प्रकाशन के 15 दिवस तक कार्यालय म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना जिला पंचायत श्योपुर में कार्यालयीन समय में व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा जमा की जा सकती है।

शर्ते :-

1. संस्था एवं प्रशिक्षको का कम से कम 05 वर्षो का कांच के मोती निर्माण में प्रशिक्षण देने का अनुभव होना अनिवार्य है
2. प्रशिक्षण श्योपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में ग्राम स्तर पर किये जाने होगे।
3. प्रशिक्षण उपरान्त 02 वर्ष तक हितग्राहियों को बिना किसी पूर्व भुगतान के कच्चा माल, ईधन एवं अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध करवाकर उत्पादित माल क्रय करने का अनुबन्ध प्रशिक्षण देने वाली संस्था को करना होगा।
4. प्रत्येक हितग्राही को माह में कम से कम 25 दिन का कार्य उपलब्धता करवाना अनिवार्य है।
5. प्रशिक्षण अवधि 03 माह की होगी ।
6. प्रशिक्षण अवधि के लिये हितग्राही को मशीन एवं अन्य सहायक उपकरण प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा उपलब्ध करवाना होगे। प्रशिक्षण उपरान्त कार्य हेतु हितग्राही द्वारा ग्रामकोष के सहयोग से स्वयं मशीन क्रय की जायेगी।
7. प्रत्येक 10 प्रशिक्षणार्थीयों पर 01 प्रशिक्षक रखना अनिवार्य होगा।
8. कम से कम 100 प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
9. निविदा के साथ आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की 2% राशि धरोहर राशि के रुप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्योपुर के नाम से बैक ड्राफ्ट के माध्यम से देय किया जाना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बगैर निविदा मान्य नहीं होगी निविदा स्वीकृत नहीं होने पर धरोहर राशि वापस करने योग्य होगी।

क्रमशः ............2

10. जिस संस्था की निविदा स्वीकृत होगी उसके द्वारा यदि अनुबन्ध अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना श्योपुर को अनुबन्ध समाप्ति का पूर्ण अधिकार होगा तथा उस स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी। इस संबंध में कोई भी वाद-विवाद किसी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।

11. दोनो पक्षकार यदि चाहे तो स्वेंच्छा से आपसी सहमति से 01 माह के नोटिस के साथ अनुबन्ध समाप्त कर सकते है।

12. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्ती से संबंधी समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पास सुरक्षित रहेगे। इस हेतु किसी भी निविदा प्रस्तुतकर्ता को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा तथा इस संबंध में वाद-विवाद किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।

13. प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थीयों को उनकी अभिरुची के अनुसार फारवर्ड लिकेंज (शासकीय विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं, बैको में प्रस्तावों को स्वीकृत कराकर रोजगार स्थापित करने में सहयोग प्रशिक्षण देने वाली संस्था द्वारा कराया जाना आवश्यक होगा।

14. संस्था के चयन होने के उपरान्त म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना द्वारा संस्था के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं चयनित संस्था प्रमुख हस्ताक्षर हेतु नोमिनी होगे।

15. विलम्ब से आने वाली (डाक अथवा व्यक्गित) निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

16. संस्था को 04 किस्तों में निर्धारित मांग पत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम किस्त | - | ट्रेनिंग प्रारम्भ होने के 30 दिवस पश्चात। 30 % |
| द्वितीय किस्त | - | ट्रेनिंग प्रारम्भ होने के 45 दिवस पश्चात। 20 % |
| तृतीय किस्त | - | ट्रेनिंग प्रारम्भ होने के 60 दिवस पश्चात। 20 % |
| चतुर्थ किस्त | - | ट्रेनिंग प्रारम्भ होने के 90 दिवस पश्चात। 20 % |
| पंचम किस्त | - | ट्रेनिंग पूर्ण होने के 20 माह पश्चात। 10 % |

राहुल जैन (आई.ए.एस.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत एवं जिला परियोजना समन्वयक
म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना श्योपुर

# निविदा पत्र

<table>
<tr><td>1.</td><td>संस्था का नाम एवं पूर्ण पता</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>संस्था के स्थापना का क्रमांक एवं दिनांक</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संस्था का कार्य क्षेत्र (स्थान)</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>संस्था की नियमित सदस्यों की संख्या</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>प्रशिक्षकों का अनुभव</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>संस्था की वर्तमान गतिविधियां</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कॉच मोती निर्माण कार्य हेतु प्रशिक्षण अनुभव</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>संस्था द्वारा किन-किन गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता।</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>संस्था की वित्तीय स्थिति<br>आय-व्यय विगत तीन वर्षो का</td><td>:-</td><td><table>
<tr><td>वर्ष</td><td>आय</td><td>व्यय</td></tr>
<tr><td>2008</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2009</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2010</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>संस्था का आयकर पैन नम्बर</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>सम्पर्क व्यक्ति का नाम पता पद एवं दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>बैक का नाम एवं बैक एकाउन्ट नम्बर</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>संलग्न परिशिष्ट का विवरण</td><td>:-</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1. पंजीयन प्रमाण पत्र<br>2. संस्था की व्यवस्थापिका समिति की सूची<br>3. संस्था के नियम तथा संविधान<br>4. गत वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन<br>5. गत वर्ष का आय-व्यय के आकड़े/ऑडिट रिपोर्ट<br>6. प्रशिक्षकों का बॉयो डाटा</td><td></td><td></td></tr>
</table>